FORM - 4

[*See* paragraph 7]

(Application for pledging of account)

To

The Postmaster/Manager

………………………………………

Sir,

1. I/We …………………………………………………..…. am/are required to deposit an amount of Rs. ……………………………. as security with …………………………………… (official designation of the gazetted officer of the Government or name of the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank, Cooperative Bank, Registered Cooperative Society, Corporation, A Government company or Local Authority). I/We therefore request you to transfer the deposit in Account Number____________________ under Kisan Vikas Patra Scheme as security in favour of …………………………………………………….. (Official designation of the officer or name of the Branch etc to whom the account is being pledged as security.)

2. I/We agree that the account(s) can be encashed by the pledgee when the security has been forfeited. Nomination vide registration number............................in the account stands cancelled.

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Date : …………………………………

Signature of account holder(s)/guardian
Address ....……………………………

For office use only

Account number__________________ has been pledged vide registration no.................................. dated...................... and necessary entries have been marked in the record. Passbook/deposit receipt/statement of account has also been marked with pledge and returned to the account holder.

Signature of Post Master/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018;

(च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।

3. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा:-

(क) एकल वयस्क;

(ख) दो वयस्क संयुक्त रूप से;

(ग) अवयस्क की ओर से संरक्षक;

(घ) विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक

(ङ) अवयस्क जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं अपने नाम पर

परंतु किसी व्यष्टि द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

परंतु यह और कि खंड (ड.) के अधीन खाता तभी खोला जा सकता है जब खंड (ग) के अधीन खाता अवयस्क या विलोमता, के नाम पर विद्यमान नहीं है।

(2) संयुक्त खाते में अतिशेष में व्यष्टि का भाग समानुपात होगा। किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों में से किसी एक खाता धारक की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक को खाते के एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा और वह इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार खाते का संचालन जारी रख सकेगा परंतु यदि उसके नाम पर अन्य कोई एकल खाता धारित न हो। यदि उत्तरजीवी खाताधारक के नाम पर एकल खाता विद्यमान है, तो उस खाते को बंद करना होगा।

4. जमा और आहरण:- (1) न्यूनतम पांच सौ रुपये की जमा के साथ खाता खोला जा सकेगा और तत्पश्चात् दस रुपये से कम की रकम के लिए कोई जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(2) किसी खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।

(3) खाते से आहरण, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा, सम्यक् रूप से भरे व हस्ताक्षरित प्रपत्र 2 के साथ पासबुक प्रस्तुत करके किया जा सकेगा । खाते में से आहरण चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक अतिशेष रकम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जा सकेगा ।

(4) जिस आहरण से अतिशेष पांच सौ रुपये से कम होता हो, का कोई आहरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

(5) इस स्कीम के लागू होने के तुरंत पहले यदि खाते में अतिशेष पांच सौ रुपये से कम है, खाता धारक इन नियमों के लागू होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर इतनी रकम जमा करेगा जिससे कि खाते में न्यूनतम अतिशेष पांच सौ रुपये हो जाए और

विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर अपेक्षित रकम जमा करने के लिए उपयुक्त विधि के जरिए खाताधारक को सलाह देने हेतु लेखा कार्यालय जिम्मेदार होगा।

(6) खाते में न्यूनतम पांच सौ रुपये अतिशेष रखने के लिए यदि खाताधारक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उतनी रकम जमा करने में असमर्थ होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को खाते में से एक सौ रुपये का खाता रखरखाव शुल्क काट लिया जाएगा और खाता रखरखाव शुल्क की कटौती करने के बाद पश्चात् खाते में अतिशेष शून्य हो जाता है, तो खाता स्वत: ही बंद हो जाएगा और जब खाता बंद हो जाता है तब खाताधारक को अधिसूचित किया जाएगा। यह उपबंध सभी खातों, जिसके अंतर्गत निष्क्रिय खाते भी हैं, को लागू होगा।

(7) सभी जमा और आहरण केवल पूर्ण रुपये में किया जाएगा।

5. खाते में जमा पर ब्याज:- (1) समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कैलेंडर मास के लिए बंद होने के दसवें दिन और मास के अंत के बीच खाते में न्यूनतम जमा अतिशेष पर ब्याज अनुज्ञात होगा और यह ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित होगा और खाते में जमा होगा।

(2) केवल संपूर्ण रुपये की रकम पर ब्याज अनुज्ञात होगा और इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम एक रुपये मानी जाएगी और पचास पैसे से कम की रकम छोड़ दी जाएगी।

(3) किसी मास के लिए खाते में कोई ब्याज अनुज्ञय नहीं होगा जिसमें किसी भी समय मास के दसवें और अंतिम दिन के बीच जमा पांच सौ रुपये से कम हो।

(4) यदि किसी वर्ष के दौरान खाता बंद किया जाता है, तो खाता बंद होने के पहले के मास के अंत तक ब्याज अनुज्ञात होगा।

(5) खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में ब्याज, जिस मास खाता बंद किया जाता है, उसके पूर्व के मास के अंत तक अनुज्ञात होगा।

6. अतिशेष की पुष्टि:- लेखा कार्यालय द्वारा खाताधारक की पासबुक या खाते का विवरण लेखा कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। खाताधारक किसी भी समय अपनी पासबुक प्रस्तुत करते हुए अपने खाते में अतिशेष की पुष्टि कर सकेगा ।

7. चैक बुक जारी करना:- आवेदन करने पर खाता धारक को दस पर्चियों वाली एक चैक बुक एक वर्ष में नि:शुल्क जारी की जा सकेगी । तत्पश्चात् जारी चैकबुक दो रुपए प्रति चैक प्रभारित होगी।

8. निष्क्रिय खाता: - (1) किसी खाते में जिसमें पूरे तीन वर्षों के लिए जमा या आहरण नहीं हुआ हो, वह निष्क्रिय खाता माना जाएगा और निष्क्रिय खाते में ब्याज का प्रत्यय संव्यवहार नहीं माना जाएगा।

(2) निष्क्रिय खाते में कोई संव्यवहार खाताधारक द्वारा खाता की बहाली हेतु आवेदन तथा लेखा कार्यालय द्वारा सम्यक् प्रक्रिया पूरी करने पर खाता पुनरुज्जीवित होने के पश्चात ही अनुज्ञात होगा।

9. बंद करने पर अंतिम आहरण:- खाताधारक, खाता बंद करने हेतु प्ररूप-2 में आवेदन के साथ पासबुक, अप्रयुक्त अथवा आंशिक रूप से प्रयुक्त चैकबुक आदि, यदि कोई हो, खाता कार्यालय को अभ्यर्पित करके, किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा

10. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

11. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा.सं.2/2/2018-एनएस (भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखिए]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं

श्रीमान,

मैं/हम -----------------------------(खाता धारक(कों)/संरक्षक) आपके डाकघर/बैंक में डाकघर बचत खाता स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/है।

मैं/हम,---------------------------रुपए/- ------------------(------------------------शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक------------------------------तारीख--------------आरंभिक जमा के रूप में निविदा करता हूं/हैं । मेरी/हमारी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रथम जमाकर्ता का नाम----------------------------

पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम-------------------------

जन्म की तारीख-------------------------(दिदि/मम/वववव) शब्दों में............................

2. दूसरे जमाकर्ता का नाम----------------------------

पति/पिता/माता का नाम-------------------------

जन्म की तारीख-------------------------(दिदि/मम/वववव)

3. तीसरे जमाकर्ता का नाम----------------------------

पति/पिता/माता का नाम-------------------------

जन्म की तारीख-------------------------(दिदि/मम/वववव)

4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम

पिता/माता/संरक्षक का नाम

जन्म की तारीख-------------------------(दिदि/मम/वववव)

5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक

6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)

7. वर्तमान पता ....

....

....

स्थायी पता ....

....

8. संपर्क ब्यौरे

टेलीफोन नं. ....

मोबाइल नं.---------------------

ई-मेल आईडी---------------

9. खाते का प्रकार ____________एकल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्षक के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या दिव्यांगजन, किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से।

10. (*)अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे

(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

(क) प्रमाणपत्र सं.

(ख) जारी होने की तारीख

(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी

11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम

(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में)

12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत........

2. पते का सबूत ....

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;

13. खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:--

(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या उत्तरजीवी धारक द्वारा

(संयुक्त खाते के मामले में)

(ख) या तो धारक(कों) द्वारा या उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा

14. मेरे/हमारे नमूने हस्ताक्षर

1.	2..	3.......................
(नाम)		
2.	2..	3......................
(नाम).................		
3.	(नाम)..	2.......................
....		
4.	(नाम)...	2.........................
(नाम)..................		

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं ।

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

तारीख...........................

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं/करते हैं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)-------------------- निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, श्री/श्रीमती/कुमारी-------------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी-------------------------निवासी---------------------------को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय रकम को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर-----------------------

नाम और पता---------------------------

2. साक्षी का नाम-------------------

नाम और पता----------------------

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान--------------------
तारीख-------------------

तारीख...................

डाक घर /बैंक के प्रयोग हेतु

यह खाता ------------------------के नाम में तारीख --------------------को रु. --------------के आरंभिक जमा के साथ ------------------------स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक----------------------------तारीख------------------------द्वारा खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्यांक----------------------------
नाम निर्देशन संख्यांक ------------------------तारीख----------------------द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2

[पैरा 9 देखिए]

(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाक घर /बैंक का नाम--------------------------------
तारीख..........
खाता संख्यांक..........
1. मैं/हम पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और अपने/हमारे तारीख --------------को परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/ करते हैं ।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे बचत बैंक खाता संख्यांक----------------------स्थित -------------------------(खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें ।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें

या

कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से नीचे हो)

*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम --------------- के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

संदाय आदेश

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

तारीख---------------------

संदाय ब्यौरा

मूल रकम रुपए-----------------------------------

(+) देय ब्याज रुपए---

(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए-----------------------------

कटौती, यदि कोई हो, रुपए--------------------------------

कुल देय रकम रुपए----------------------------

रुपए ------------------------------(अंको में) ---------------------------(शब्दों में) का संदाय करें ।

तारीख----------------

पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर

भुगतान

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपए--------------------------(अंको में) ------------------------------(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक ---------------तारीख----------------------/खाता संख्यांक -------------को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थान:
तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) This Scheme may be called the Post Office Savings Account Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "account" means an account opened under this Scheme;

(b) "account holder" means an individual in whose name the Account is held;

(c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) "Form" means forms appended to this Scheme;

(e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(f) "year" means a period of twelve months commencing on the 1st day of April.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and in the General Rules.

3. Type of Account.- (1) An account may be opened by making an application in Form-1 by the following:-

(a) a single adult;

(b) two adults jointly;

(c) a guardian on behalf of a minor;

(d) a guardian on behalf of a person of unsound mind;

(e) a minor who has attained the age of ten years, in his own name:

Provided that only one account can be opened by an individual as a single account:

Provided further that an account under clause (e) can only be opened if an account under clause (c) does not exist in the name of the minor or *vice versa*.

(2) The share of an individual in the balance in a joint account shall be in equal proportion. On the death of one of the account holder in a joint account, the surviving account holder shall be treated as the sole owner of the account and he may continue the account in accordance with the provisions of this Scheme provided another single account is not held in his name. In case a single account exists in the name of the surviving holder, the account shall have to be closed.

4. Deposits and withdrawals.- (1) The account may be opened with a minimum deposit of five hundred rupees and no subsequent deposit shall be accepted for an amount less than ten rupees.

(2) There shall be no maximum limit of deposit in an account.